



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development
Commissioner,

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र - / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (E), Mumbai -400 096

टेलि. / Tel. : 022-28294751/74 फैक्स / Fax : 28291385,

ईमेल- / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

F.No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AC/181/2015-16/VOL-XII / 06272 Dated : 21.05.2024



सेवा में,

सभी डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/यूनिट धारक/अन्य सभी संबंधित

All Developers/Co-Developers/Unit holders/ all other concerned

विषय: सीपज़ सेज़ के लिए अनुमोदन समिति की बैठक।

Sub : Approval Committee Meeting for SEEPZ-SEZ-reg.

महोदय / Sir,

सभी डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/यूनिट धारकों और अन्य सभी संबंधित सरकारी विभागों को सूचित किया जाता है कि डीसी, सीपज़ सेज़ के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सेज़ (पुणे क्लस्टर को छोड़कर) और ईओयू के लिए अनुमोदन समिति की बैठक 31 मई 2024 को सुबह 11.30 बजे निर्धारित की गई है।

अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 24.05.2024 है। कार्यसूची को 27.05.2024 तक अंतिम रूप दिया जाएगा और इसे 28.05.2024 तक वेबसाइट (www.seepz.gov.in) पर अपलोड किया जाएगा। नियत तिथि के बाद कोई भी कार्यसूची स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें।

बैठक का कार्यसूची वेबसाइट (www.seepz.gov.in) पर अपलोड किया जाएगा

It is inform to all Developers/Co-Developers/Unit holders and all other concerned Government Department that the meeting of the Approval Committee for all SEZs (Except Pune Cluster) and EOUs under the jurisdiction of DC, SEEPZ SEZ has been scheduled on 31.05.2024 at 11.30 am.

The last date for submission of proposals for Approval Committee is 24.05.2024, Friday. The Agenda will be finalised by 27.05.2024 and the same would be uploaded on the website (www.seepz.gov.in) by 28.05.2024. No Agenda will be accepted after due date. It is requested to take note of the same.

The agenda of the meeting will be uploaded on the website (www.seepz.gov.in)

भवदीय,

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)
उप विकास आयुक्त
सीपज़ सेज़